



पत्रांक- 778/34व्यक-स्थानान्तरण-सा0/2023

दिनांक:- 05/06/2023

-:कार्यालय ज्ञाप:-

इस कार्यालय के ज्ञापसंख्या-560/34व्यक-स्थाना0-सा0/2023 दिनांक-25.04.2023 द्वारा निर्धारित प्रारूप- 01 व 02 पर विकल्प/अनुरोध पत्र की सूचना [Email ID nimisingh.pwd@uk.gov.in](mailto:nimisingh.pwd@uk.gov.in) के माध्यम से दिनांक-15.05.2023 समय 5:00 बजे अपराह्न तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये थे।

शासकीय पत्र संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक-10.05.2023 एवं शासकीय पत्र संख्या-1/120990/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक-10.05.2023 द्वारा स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु स्थानान्तरण अधिनियम की समय सारणी के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या-695/34व्यक-स्थानान्तरण-सा0/23 दिनांक-18.05.2023 द्वारा समय विस्तार हेतु शासन स्तर से अनुरोध किया गया तथा अतिरिक्त समय विस्तार की प्रत्याशा में इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-699/34व्यक-स्थाना0-सा0/2023 दिनांक-18.05.2023 के द्वारा शासन स्तर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पात्र कार्मिकों से पुनः विकल्प/अनुरोध पत्र की सूचना [Email ID nimisingh.pwd@uk.gov.in](mailto:nimisingh.pwd@uk.gov.in) के माध्यम से दिनांक-30.05.2023 समय 5:00 बजे अपराह्न तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः उक्तानुसार सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम तथा सुगम से सुगम के स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों द्वारा ऐच्छिक स्थानों के विकल्प प्रारूप-01 पर एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु अनुरोध पत्र/विकल्प प्रारूप-02 पर उपलब्ध कराये गये। जिनका विवरण लोक निर्माण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

६०

(उपेन्द्र सिंह रावत)

वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर (अधिष्ठान)

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को अधिनियम की प्रति संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
01. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 02. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
 03. मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के संज्ञानार्थ प्रेषित।
 04. समस्त मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
 05. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
 06. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग।
 07. अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि लोक निर्माण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। (संलग्न-यथोपरि)।
 08. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
 09. मुख्य/वरिष्ठ/प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थापन-क/ख/ग/घ एवं कार्यप्रभारित वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
 10. गार्ड पत्रावली हेतु।

वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर (अधिष्ठान)

5/6/23
05.06.23